भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1898

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2022/1 पौष, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आतिथ्य क्षेत्र में महिलाओं को पेश आने वाली समस्याएं

1898. श्री आर. गिरिराजनः

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सहमत है कि पर्यटन उद्योग में कार्यबल संबंधी अनेक समस्याएं आती है जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि भारत में आतिथ्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अत्यधिक कार्य के दबाव का सामना करना पड़ता है, उनकी नेटवर्किंग क्षमताओं को कम करके आंका जाता है और जब उन्हें काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ती है तो वे आने-जाने संबंधी समस्या का भी सामना करती हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): पर्यटन उद्योग के काफी हद तक असंगठित, मौसमी और विभिन्न क्षेत्रों में फैले होने के कारण पर्यटन उद्योग का कार्यबल विभिन्न प्रकार चुनौतियों का सामना करता है। पर्यटन उद्योग महिला कार्यबल के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और महिला कर्मचारियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए महिला कर्मचारियों हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न विनियामक और स्वैच्छिक उपायों के माध्यम से औद्योगिक हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रशासित विभिन्न कानूनों में शामिल प्रावधान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके लिए समान अवसर तथा अनुकूल कार्य परिवेश प्रदान करते हैं। ये इस प्रकार हैं:

(i) सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिता, 2020
(ii) वेतन संबंधी संहिता, 2019
(iii) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित)
(iv) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013

*****